



जीवन रक्षा की दिशा में मध्यप्रदेश की अभिनव पहल

24/7

पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा

जहां हर पल कीमती हो यह सेवा देती है जीवन की उम्मीद

टोल फ्री नं.

18004199006

सुविधा किसके लिए है

- आपात स्थिति विशेषकर सड़क एवं औद्योगिक दुर्घटना में गंभीर घायल
- बीमारी की गंभीर अवस्था नवजात शिशु, बच्चे, अंग प्रत्यारोपण, हृदय संबंधी आदि मामले



शुल्क

- आयुष्मान कार्ड धारक के लिए प्रदेश के भीतर तथा प्रदेश के बाहर शासकीय एवं आयुष्मान सम्बद्ध अस्पताल में निःशुल्क परिवहन
- गैर आयुष्मान कार्ड धारक के लिए प्रदेश के भीतर शासकीय अस्पताल में निःशुल्क लेकिन प्रदेश के बाहर अनुबंधित दर पर परिवहन, विशेष परिस्थितियों में निःशुल्क सुविधा
- अनुबंधित दर - ₹ 1,94,500 प्रति घंटा एवं ₹ 1,78,900 प्रति घंटा



अनुमति कैसे मिलेगी

- चीफ मेडिकल ऑफिसर/ शासकीय चिकित्सालय के डीन द्वारा अनुमोदन
- जिला कलेक्टर/कमिश्नर हेल्थ/ संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा द्वारा स्वीकृति



बीमा सुरक्षा

- थर्ड पार्टी कवर
- हितग्राही बीमा
- मेडिकल सुरक्षा प्रावधान



एयर एम्बुलेंस में सुविधाएं

- क्रिटिकल चिकित्सा राहत एवं रात्रि परिवहन हेतु अनुभवी एवं दक्ष पायलट
- उच्च प्रशिक्षित चिकित्सक एवं पैरामेडिकल टीम
- वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सपोर्ट, कार्डियक केस में लाइफ सेविंग सपोर्ट

निर्बाध सेवा और बैकअप व्यवस्था

- आपातकालीन सेवा के लिए 24x7 एयरक्राफ्ट तैनात
- तकनीकी खराबी या मेटेनैस की स्थिति में तुरंत बैकअप

मरीज को कहाँ ले जाया जा सकेगा

- राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर सुपर स्पेशलिटी/उच्च चिकित्सा संस्थानों में

अब तक

140 लोगों ने लिया लाभ
50 से अधिक
सफल इमरजेंसी ऑपरेशन

15 सितंबर 2025 को इंदौर में एक ट्रक हादसे में मेरी बेटी संस्कृति बेहद गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे प्राथमिक इलाज के बाद मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से इंदौर से एयरलिफ्ट कर मुंबई भेजा गया, जहां संस्कृति का सफल इलाज हुआ। आयुष्मान कार्ड धारक न होने के बावजूद भी हमारी बेटी का निःशुल्क इलाज संभव हुआ।

- श्री अशोक वर्मा, पिता

D11028/26